(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 658–तीन/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 30–01–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ जिला–टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 81/अपील/2013–14

1– ठाकुरदास तनय छुट्टी यादव
2– पिल्लु तनय छुट्टी यादव
3– बाबू तनय छुट्टी यादव
4– देशपत तनय कामता यादव
5– लक्ष्मन तनय घनश्याम यादव
निवासीगण–ग्राम डुडियन खेरा
तहसील बल्देवगढ़, जिला–टीकमगढ़, म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

जगप्रसाद तनय श्री बल्दराम यादव
निवासी–ग्राम डुडियनखेरा तहसील
बल्देवगढ़, जिला–टीकमगढ़, म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कुवंरसिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/4/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़, जिला–टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–01–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार बल्देवगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम डुड़ियन के कृषि खाता क्र0 574 रकबा 1.137 है0 में से रकबा 0.405 हैक्टर पर भूमिस्वामी के रूप में नाम इन्द्राज हेतु प्रस्तुत किया गया । न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ–119/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 01–07–1996 से आवेदकगण का नामांतरण किया गया जो पंजी क्रमांक 13 में दर्ज है । अनावेदक द्वारा न्यायालय तहसीलदार के उक्त पारित आदेश 01–07–1996 के विरूद्ध दिनांक 13–08–2013 को एक अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 81/अपील/2013–14 पंजीबद्ध कर अपने अंतरिम आदेश दिनांक 30–01–2014 द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया। उक्त पारित आदेश दिनांक 30–01–2014 के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आलोच्य आदेश में विलम्ब क्षमा करने का कोई समुचित आधार नहीं है साथ ही अपील में जो विरोधाभाषी तथ्य है उसको दुर्लक्षित कर आदेश पारित किया गया है । प्रतिदिन के विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है और वकील की सलाह के बाद भी नकल आवेदन 8 दिन बाद लगाने का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अनावेदक ने अपने आवेदन में इस तथ्य को छिपाया है । माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है । तर्क में कहा गया है कि अनावेदक ने असत्य कथन करके न्यायालय का धोखा दिया है । जिसका स्पष्ट प्रमाण नामांतरण पंजी पर कब्जे के आधार पर बंटवारा मांगा गया है और इसमें जगप्रसाद अनावेदक के हस्ताक्षर स्पष्ट है अर्थात् सन् 1996 में ही नामांतरण होने के संबंध में जगप्रसाद यादव को जानकारी थी इस तथ्य को उसने झूठा शपथ पत्र देकर अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ जो अपील की है वह प्रथम दृष्टि में निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह बताया है कि अनावेदक के नाम की भूमि का आवेदकगण द्वारा फर्जी तरीके से भूमि का अंश रकबा 0.405 हैक्टेयर अपने नाम करा लिया गया, जबकि अनावेदक द्वारा कभी भी आवेदकगण को कोई विक्रय पत्र निष्पादन नहीं कराया गया और न ही अनावेदक द्वारा आवेदकगण के पक्ष में कोई शपथ–पत्र लेख किया

गया । आवेदकगण द्वारा फर्जी शपथ–पत्र के आधार पर अनावेदक की भूमि खसरा क्रमांक 574 रकबा 1.137 का अंश रकबा 0.405 हैक्टर अपने नाम गैर कानूनी तरीके से करा ली गई है । न्यायालय तहसीलदार बल्देवगढ़ द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 13 पर जो आदेश किया गया है उस पर अनावेदक के फर्जी हस्ताक्षर किये गये एवं गवाहों के हस्ताक्षर भी फर्जी है । तर्क में कहा गया है कि अनावेदक उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता आ रहा है और उक्त भूमि में ही निवास करता आ रहा है । आवेदकगण द्वारा दिनांक 10.07.2013 को अनावेदक से कहा गया कि इस भूमि में एक एकड़ भूमि हमारी है और अब हमको खेती करना है तब अनावेदक को हलका पटवारी से सम्बन्ध कर जानकारी की गई और दिनांक 11.07.2013 को खसरा की नकले निकलवाने हेतु नकल शाखा बल्देवगढ़ में आवेदन किया जो खसरा की नकलें दिनांक 31.07.2013 को प्राप्त हुई जिस पर आवेदकगण का नाम उल्लेखित था तब अनावेदक ने अपने अभिभाषक के सलाह अनुसार दिनांक 07.08.2013 को नामांतरण पंजी क्रमांक 13 की नकल हेतु आवेदन पेश किया गया जो दिनांक 12.08.2013 को प्राप्त हुआ । नकल प्राप्ति के बाद अनावेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा विधिवत रूप से धारा 5 का आवेदन सद्भाविक होने से अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई, जो उचित है । अंत में अनावेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी निरस्त करते हुये अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । नामांतरण पंजी क्र0 13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामांतरण अनावेदक की सहमति से किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर भी थे । अब अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह उल्लेख किया गया है कि उसके हस्ताक्षर फर्जी थे । तथा इस आधार पर उसने 17 वर्ष बाद अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो अनुविभागीय अधिकारी ने समयसीमा में मान्य की । जबकि भू अभिलेखों में प्रविष्टि 17 वर्ष पूर्व हो गई थी तक यह नहीं माना जा सकता कि इतनी लम्बी अवधि तक उक्त इन्द्राज की जानकारी आवेदक को नहीं थी । क्योंकि प्रतिवर्ष उसके द्वारा भू0 राजस्व जमा कराया जाता होगा । पटवारी द्वारा गिरदावरी के समय ग्राम

में जानकारी दी जाती है । वैसे भी उसके हस्ताक्षर फर्जी है इसके समर्थन में उसने मात्र शपथ–पत्र के अलावा अन्य कोई सहयोगी साक्ष्य पेश नहीं की है । उक्त परिस्थितियों में प्रकरण में 17 वर्ष के असाधारण विलम्ब को माफ करके अपील ग्राह्य करने में अनुविभागीय अधिकारी ने त्रुटि की है ।

6/ उक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभगीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30.01.2014 निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर